विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समाविष्ट है जिसमें राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में अवनिर्धारण, कर का कम उद्ग्रहण ब्याज एवं जुर्माने पर सात पैराग्राफ हैं, जिसमें ₹ 137.77 करोड़ की धनराशि शामिल है। सा.क्षे.उ. से संबंधित अध्याय II में पावर एवं गैर-पावर क्षेत्र सा.क्षे.उ. तथा ₹ 30.23 करोड़ की शामिल चार अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ की कार्यप्रणाली पर एक विहंगावलोकन सम्मिलित है एवं सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र से संबंधित अध्याय III में ₹ 29.76 करोड़ को शामिल करते हुए तीन अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित है। प्रतिवेदन में विस्तृत किए गए कुछ प्रमुख निष्कर्षों को नीचे सांराशीकृत कर किया गया है।

अध्याय I: राजस्व क्षेत्र

प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में ₹ 38,667.27 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 43,112.60 करोड़ थी। इसमें से, 86 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 36,624.67 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹ 644.16 करोड़) से उत्थित हुई थी। शेष 14 *प्रतिशत* भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में (₹ 5,843.77 करोड़) प्राप्त हुई। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 2.54 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 15.91 *प्रतिशत* की कमी थी।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2018-19 के दौरान व्यापार एवं कर, राजस्व तथा परिवहन विभाग की 60 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 394 मामलों में शामिल ₹ 521.61 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने ₹ 96.32 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.8.1)

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

2014-15 से 2018-19 के दौरान निष्पादित, 118 करारों में उदगृहित स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.68 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ 1.2)

संपत्तियों के गलत वर्गीकरण तथा संपत्तियों के अवमूल्यन की गलत संगणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.3)

व्यापार एवं कर विभाग

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा कर जमा के विवरण का सत्यापन के बिना निर्धारितियों को ₹ 2.56 करोड़ का इनपुट ट्रैक्स क्रेडिट अनुमत्य किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.21 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 2.25 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.4)

रियायती कर की दर के लिए निर्धारिती की पात्रता सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण ₹ 1.91 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.60 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 1.91 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.5)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त मांगों पर ब्याज उद्ग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ के ब्याज का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.6)

जिन निर्धारितियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था विभाग उनसे ₹ 87.15 करोड़ की माँग वसूल करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 1.7)

निर्धारिती ने निर्माण सामग्री के संबंध में ₹ 29.94 करोड़ की कम बिक्री को दिखाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.08 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 2.75 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.8)

अध्याय II: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2019 को 19 राज्य सा.क्षे.उ. थे जिसमें 17 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निकाय शामिल थे। कार्यशील सा.क्षे.उ. की 30 सितम्बर 2019 तक अद्यतन नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 9,318.69 करोड़ की वार्षिक टर्नओवर पंजीकृत थी। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (₹ 7,79,652.31 करोड़) के 1.20 *प्रतिशत* के बराबर थी। कार्यशील सा.क्षे.उ. के अद्यतन अन्तिम लेखों के अनुसार ₹ 3,492.05 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2019 तक राज्य सा.क्षे.उ. ने 0.30 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति की।

(पैराग्राफ 2.1.1.2)

31 मार्च 2019 तक पांच पावर सैक्टर उपक्रमों में ₹ 11,698.68 करोड़ का कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घ-अवधि-ऋण) हुआ। निवेश इक्विटी का 64.17 *प्रतिशत* तथा दीर्घ-अवधि ऋणों का 35.83 *प्रतिशत* था।

(पैराग्राफ 2.1.2.4)

इन सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ, 2014-15 में ₹ 297.55 करोड़ के प्रति 2018-19 में ₹ 806.48 करोड़ था। उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार इन पाँच सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ. ने लाभ अर्जित किया एवं दो सा.क्षे.उ. को हानि हुई। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 398.00 करोड़) एवं प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 264.38 करोड़) थी। इन्द्रप्रस्थ पॉवर कोरपोरेशन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 19.84 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.1.2.9)

पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित लाभ ₹ 7,506.79 करोड़ के पूँजीगत निवेश के प्रति ₹ 869.91 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 8,375.83 करोड़ था। पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से, दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड (-₹ 615.17 करोड़) में निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

(पैराग्राफ 2.1.2.13)

31 मार्च 2019 को इन 14 सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण) ₹ 14,093.20 करोड़ था। निवेश में 16.76 *प्रतिशत* इक्विटी तथा 83.24 *प्रतिशत* दीर्घकालिक ऋण शामिल था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा दिया गया दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 99.84 *प्रतिशत* (₹ 11,712.20 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालिक ऋण का 0.16 *प्रतिशत* (₹ 18.74 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.3.4)

1 अक्तूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान 14 सा.क्षे.उ. में से (ऊर्जा क्षेत्र के अलावा) 12 सा.क्षे.उ. ने 12 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था। आगे, 15 वार्षिक लेखे बकाया थे जो आठ सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं।

(पैराग्राफ 2.1.3.8)

सा.क्षे.उ. (ऊर्जा क्षेत्र के अलावा) ने 2014-15 से 2018-19 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र हानि उठाई। नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, 14 सा.क्षे.उ. में से, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 68.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,366.95 करोड़ की हानि उठाई (जिनमें डी.टी.सी. को ₹ 4,329.41 करोड़ की हानि शामिल है) एवं चार सा.क्षे.उ. को सीमांत हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.1.3.12)

14 गैर-विद्युत सा.क्षे.उ. में से, रा.रा.क्षे.दि.स. ने नौ सा.क्षे.उ. में निवेश किया जिसमें से दिल्ली परिवहन निगम का निवल मूल्य (-₹ 31,489.06 करोड़) पूर्णतः समाप्त हो गया था।

(पैराग्राफ 2.1.3.17)

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

उद्योग विभाग

"दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा बवाना एवं नरेला में औद्योगिक क्षेत्रों का परिचालन और अनुरक्षण" की लेखापरीक्षा

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को रा.रा.क्षे.दि. में औद्योगिक क्षेत्रों की व्यवस्थित स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिसमें उनके परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल थे।

बवाना तथा नरेला में औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास एवं परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य 15 वर्षों की अवधि के लिए क्रमशः बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड (मेसर्स बवाना) तथा मेसर्स पीएनसी दिल्ली

इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (मेसर्स पीएनसी) को आवंटित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधन तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की थी।

(पैराग्राफ 2.2.1)

इन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण की लेखापरीक्षा से पता चला कि रियायत समझौते के अनुसार दो रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कार्य के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के संबंध में डीएसआईआईडीसी की तरफ से गंभीर कमियाँ थीं। डीएसआईआईडीसी के पास न तो प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा देय और भुगतान किए गए शुल्कों का पूरा ब्यौरा था, और न ही रियायत प्राप्तकर्ताओं को संग्रह की गई राशि हस्तांतरित करने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा आय एवं व्यय का आवश्यक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया गया था। रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों पर प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा प्राप्त किए बिना ही मासिक अनुरक्षण शुल्कों में वृद्धि की अनुमति देकर रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ दिए गए।

(पैराग्राफ 2.2.2.1 एवं 2.2.2.2)

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पानी तथा सीवर कनेक्शन शुल्क का संग्रहण अनाधिकृत था और जिसके कारण उसके समायोजन में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, पार्किंग शुल्कों के समायोजन में भी विलम्ब था। आगे, बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों के साथ-साथ बिजली एवं पानी बिलों के समायोजन में भी विलम्ब था।

(पैराग्राफ 2.2.2.3 एवं 2.2.2.4)

डीएसआईआईडीसी द्वारा अनुपयुक्त निगरानी से प्रतिकूल पर्यावरणीय जटिलता हुई। जैसे इन औद्योगिक क्षेत्रों में निगम के ठोस अपशिष्ट के गैर निपटान एवं संचय से ड्रेनों और सीवरों का जाम होना औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे वाटर ड्रेनों में प्रवाहित किया जाना। सड़कों की अपर्याप्त सफाई, पार्कों की सिंचाई एवं सफाई तथा मरम्मत कार्य इत्यादि की धीमी प्रगति इनके उदाहरण थे।

(पैराग्राफ 2.2.4.1, 2.2.4.2 एवं 2.2.4.3)

थर्ड पार्टी इंजीनियर द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण में बार-बार पाई गई कमियों के बताने एवं जुर्माने की वसूली की अनुशंसा करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी रूप से नहीं किया गया परन्तु डीएसआईआईडीसी ने सीएमडी द्वारा थर्ड पार्टी इंजीनियर की सेवा विस्तार देते समय इस उपबंध

को शामिल करने के निर्देश के बावजूद थर्ड पार्टी इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.2.3 एवं 2.2.5.1)

शिकायत निवारण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

(पैराग्राफ 2.2.5.3)

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम आयकर देयता में असफल रहा एवं अग्रिम कर के गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के अपरिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3)

विद्युत विभाग

प्रगति पावर निगम लिमिटेड

प्रगति पावर निगम लिमिटेड को ₹ 22.83 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इसने अपने ऊर्जा संयंत्र का बीमा लेते समय उत्पाद एवं कस्टम शुल्क के मूल्य को शामिल न कर "मशीनरी ब्रेक डाऊन" नीति के अन्तर्गत परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन किया था।

(पैराग्राफ 2.4)

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड रियायत प्राप्तकर्ताओं से समय पर सेवा कर वसूल करने में विफल रहा तथा सेवा कर पर ब्याज सहित ₹ 93.91 लाख अपने कोष से भुगतान किया।

(पैराग्राफ 2.5)

अध्याय III: सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा.क्षे.उ.)

प्रतिवेदन के इस भाग में दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली एवं दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विद्युतीय प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय तथा इंद्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली द्वारा कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की अधिक भुगतान से संबंधित ₹ 29.76 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के तीन पैराग्राफ शामिल है।

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

श्रम विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन सितम्बर 2002 में उपकर एकत्रित करने तथा उसका उपयोग दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। हालांकि, बोर्ड ने अपने अनिवार्य उद्देश्यों के पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घावधि भावी योजना अथवा वार्षिक योजना तैयार नहीं की। बोर्ड ने 2002-19 वर्षों के दौरान उपकर, एकत्रित उपकर पर ब्याज तथा पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 3,273.64 करोड़ प्राप्त किए जिसमें से इसने निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर केवल ₹ 182.88 करोड़ (5.59 *प्रतिशत*) व्यय किया तथा मार्च 2019 तक उपकर तथा ब्याज के साथ संग्रहित शुल्क से ₹ 2,709.46 करोड़ का संचय हुआ था।

(पैराग्राफ 3.2.6.2)

निर्माण श्रमिकों को कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। हालांकि, बोर्ड ने दिल्ली में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्माण श्रमिकों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया। मार्च 2019 तक अनुमानित 10 लाख निर्माण श्रमिकों में से केवल 17,339 (1.7 *प्रतिशत*) ने बोर्ड में पंजीकरण करवाया जिससे 98 *प्रतिशत* श्रमिक, बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित रहे। पंजीकृत श्रमिकों के मामले में भी सीमित लाभ ही प्रदान किया गया, क्योंकि बोर्ड द्वारा कार्यान्वित 15 कल्याण योजनाओं में से छः पर कोई व्यय नहीं किया गया था। बोर्ड का प्रशासनिक व्यय भी कुल व्यय के पाँच *प्रतिशत* की निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था तथा यह 2016-17 में 14.42 *प्रतिशत* और 2018-19 में 12.20 *प्रतिशत* था।

(पैराग्राफ 3.2.6.1 एवं 3.2.10.1)

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप संस्वीकृत विद्युत भार के निर्धारण में विफलता के परिणामस्वरूप नियत प्रभारों के कारण जुलाई 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹ 1.55 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना इंद्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली ने कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर परिवहन भत्ते की स्वीकृति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ के अतिरिक्त प.भ. की राशि का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)